निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 94 **वर्ष** 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** के माह 10/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर. एन. यादव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री नन्दन संह लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16/02/2018 से 24/02/2018 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षक अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित कया गया।

भाग-I

1- परिचयात्मकः इस इकाई के लेखा अभिलेखों की वगत लेखापरीक्षा दिनांक 30/09/2016 से 08/10/2016 तक श्री आर. एन. यादव एवं श्री अमत टंडन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री वी. एस. पँवार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में निष्पादित की गई थी। जिसके अंतर्गत माह 05/2015 से 09/2016 तक के लेखा भिलेखों की जाँच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

लोक निर्माण तथा सड़क, सेतु, भवन निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य नैनीताल जनपद के वेतालघाट, रामगढ़, धारी ब्लॉक

(ii)

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

` *लाख में*

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	--	--	687.15	687.15	1919.88	1919.88	--	--
2016-17	--	--	832.52	832.52	1816.63	1816.63	--	--
2017-18	--	--	987.18	878.71	1592.67	993.95	--	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	शून्य					
2016-17						
2017-18						

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सैक्टर के अंतर्गत किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'ए' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव, उत्तराखंड शासन
2. प्रमुख अ भयंता /वभागाध्यक्ष , लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड
3. मुख्य अ भयंता, लोक निर्माण वभाग
4. अधीक्षण अ भयंता, लोक निर्माण वभाग
5. अ धशासी अ भयंता, लोक निर्माण वभाग

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन प्रथक-प्रथक जारी कए जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/ 2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। पटोडी जोशीखोव्य-हल्द्वानी-बेतलघाट मो. मा. का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य एवं लक्ष्मीखान-तल्ला-रामगढ़-नुथवाखा-प्युड़ा-कवारब मो. मा. का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .....के आधार पर किया गया।

(V) 1. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा खंड का विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक..... को निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 09/2016 तक की गई।

4. फार्म 51: माह 01/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 574756.68

भाग द्वितीय ` 466028.90

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 01/2018 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण अग्रिम	` 8520076.00
(ख)	सामग्री क्रय	` शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	` 163618.41
(घ)	निक्षेप	` 80979791.62
(ङ)	भण्डार	` (-)3312825.00

भाग-2 (अ)

प्रस्तर-1 : अतिरिक्त केंद्रीय सहायता परियोजना के अंतर्गत लक्ष्मीखान-तल्ला-रामगढ़-नुथवाखा-प्युड़ा-कवारब मोटर मार्ग के क0 मी0 17 से 41.550 तक पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य पर कार्य के मद को छोटे-छोटे टुकड़ो मे बांटे जाने से `11.40 लाख का अतिरिक्त व्यय, ठेकेदार से `10.40 लाख की कम रॉयल्टी वसूली कया जाना तथा मोटर मार्ग के कमी0 17 से 24 मे क्षतिग्रस्त बी.एम./एस.डी.बी.डी. का सुधार अन्य ठेकेदार से पूरा कराके व्यय `8.93 लाख की वसूली मूल ठेकेदार से कार्य के अंतिमीकरण होने के उपरान्त भी न करना।

जनपद-नैनीताल मे अतिरिक्त केंद्रीय सहायता परियोजना के अंतर्गत लक्ष्मीखान-तल्ला-रामगढ़-नुथवाखा-प्युड़ा-कवारब मोटर मार्ग के क0 मी0 17 से 41.550 तक पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य (लंबाई 25.550 क0 मी0 लागत ` **1585.30** लाख**)** की शासनादेश संख्याः **(251/III)3**-13/**12**)0एसपीए2013/दिनांक/ 20-03-2013) द्वारा ` **1585.30** लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य को पुनः शासनादेश दिनांक **28-04**201-**4** द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत स्थानांतरित/ परिवर्तन कया गया था। कार्य की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता(कुमायु क्षेत्र), लो.नि. व.अल्मोड़ा द्वारा पत्रांकः**7110(1)**1/**003**/यातायात2013/दिनांकः14/06/2013 के माध्यम से कुल लागत ` **1585.30** लाख की प्रदान की गयी।कार्य हेतु अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा अनुबन्ध संख्या - 5/SE-02/2013-14 दिनांक-**04/07/2013** कुल लागत `1026.12 लाख (8.19 below %) M/s आर जी वल्डवेल इंजीनिर्यस ल मटेड**,** रामनगर के साथ गठित कया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ ति थ **04/07/2013** व कार्य समाप्ती की निर्धारित ति थ 03/01/2015 थी। कार्य की वत्तीय व भौतिक प्रगति के अनुसार कार्य पर कुल `1571 लाख व्यय कया गया है और 10/2016 को कार्य पूर्ण दर्शाया जा रहा है।

अ भलेखो के अनुसार कार्य पर 12 अतिरिक्त agreement/बॉन्ड कये गये थे अतः कार्य के मद को छोटे छोटे टुकड़ो मे बांटे जाने के कारण कार्य पर higher एस0 ओ0 आर0 रेट से (सलगनक 1 के अनुसार) `11.40 लाख (`8.28 लाख +below 8.19% ऑफ 38 लाख = `3.12 लाख) अतिरिक्त व्यय कया गया। जब क यह सारे मदों के कार्य अनुबन्ध संख्या- 5/SE-02/2013-14 दिनांक-**04/07/2013** के अंतर्गत कए व कराये गए और इन कार्य मदों को अलग अलग अनुबन्धो के द्वारा 10/2016 से पूर्व कराया गया था। इस के अतिरिक्त अनुबन्ध संख्या - 5/SE-02/2013-14 दिनांक-**04/07/2013** के अंतर्गत कराये गये कार्य व भुगतान की जांच मे आगे यह भी पाया गया क ठेकदार के देयकों से मात्र `6.98 लाख (स्टोन 7014.61 cum, स्टोन ब्लास्ट 621.48 cum व सांड 899.69 cum) की रॉयल्टी काटी गयी जब क आंतिम देयक के

अनुसार ठेकदार पर `17.38 लाख (एम0 बी0 व सलगनक 2 के अनुसार स्टोन 20135.36 **cum,** स्टोन ब्लास्ट 1039.41 **cum** व रेत 374.38 **cum**) देय था। इस प्रकार ठेकेदार से `10.40 लाख रॉयल्टी की कम वसूली की गयी थी । इस के अतिरिक्त रॉयल्टी की दर उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007, (दिनांक 26 फरवरी, 2016) से `194.50प्रति घन मीटर तथा **842/VII-I/2016/24-ख/2007** देहरादून (दिनांक **19** मई **2016)** से `187.00 प्रति घन मीटर प्रतिस्था पत/संशो धत /वृद् ध कया गया था। तथा उक्त मे यह स्पष्टतः उल्लि खत कया गया था क यह अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी। जब क ठेकेदार को रनिंग बिल के उपरांत अन्य देयकों से संशो धत दर से ही रॉयल्टी काटी जानी चाहिए थी ले कन खंड द्वारा संशो धत दर से वसूली नहीं की थी। पत्रावली के अनुसार इस अनुबन्ध मे मोटर मार्ग की बी0एम0/एस0डी0बी0 द्वारा ले पत सतह कमी0 17 से 41.55 मे जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसे ठीक कए जाने हेतु ठेकेदार को लखा गया था ले कन कार्य के अंतिमीकरण होने के उपरान्त भी इस मोटर मार्ग के कमी0 17 से 24 में क्षतिग्रस्त बी.एम./एस.डी.बी.डी. को सुधारने के लए अन्य ठेकेदार से अनुबन्ध संख्या 63/ एई-111 (दिनांक 18-01-2018) के द्वारा पूरा कया गया जिस पर कये गये व्यय `8.93 लाख की वसूली ठेकेदार M/s आर जी वल्डवेल इंजीनिर्यस ल मटेड, रामनगर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं कया गया था (2/2018)।

उपरोक्त के सम्बंध मे पूछे जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क ठेकेदार से `10.40 लाख रॉयल्टी क्षतिग्रस्त बी.एम./एस.डी.बी.डी. पर कये गये व्यय की वसूली ठेकेदार M/s आर जी वल्डवेल इंजीनिर्यस ल मटेड, रामनगर से की जाएगी तथा यातायात का भारी दबाव होने के कारण व भन्न जगहो पर छोटे छोटे अनुबन्ध गठित कये गये। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है ।

अतः लक्ष्मीखान-तल्ला-रामगढ़-नुथवाखा-प्युड़ा-कवारब मोटर मार्ग के क0 मी0 17 से 41.550 तक पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य पर कार्य के मद को छोटे छोटे टुकड़ो मे बांटे जाने से `**11**.40 लाख का अतिरिक्त व्यय, ठेकेदार से `10.40 लाख की कम रॉयल्टी वसूली तथा मोटर मार्ग के कमी0 17 से 24 मे क्षतिग्रस्त बी0एम0/एस0डी0बी0डी0 का सुधार अन्य ठेकेदार से पूरा कराके `8.93 लाख व्यय की वसूली मूल ठेकेदार से कार्य के अंतिमीकरण होने के उपरान्त भी न करने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

निम्न तथ्यो के आलोक में प्रस्तर को भाग-2 (अ) में जारी कया जा सकता है।

1. रॉयल्टी के मद में रु 10.40 लाख की रा श ठेकेदार से वसूलनीय है।
2. रु 8.93 लाख की रा श से अन्य अनुबंध के द्वारा नि र्मत मार्ग की मरम्मत पर व्यय कया गया था और इस मरम्मत की जिम्मेदारी पूर्ववर्ती ठेकेदार **(N/S R. S. Buildwell)** पर थी। इस प्रकार यह रा श भी वसूलनीय है।
3. इस प्रकार कुल रु 19.33 लाख की रा श वसूलनीय है और यह आवश्यक है क इस रा श की वसूली राजकीय कोष में प्रे षत की जानी चाहिए क्यों क प्रस्तर राजकीय नि ध की हानि के रूप में दर्शाया गया है। अत: प्रस्तर को शासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है।
4. कार्य के अन्य मद को यदि अन्य अनुबंध से संपादित न करके, मूल अनुबंध से कया जाता तो शासकीय धन रु 11.40 लाख के व्यया धक्य की बचत की जा सकती थी।

भाग -2 (ब)

प्रस्तर-1 :- प्रतिभूति धनरा श `1.14 करोड़ के दायित्व का सृजन।

जुलाई से पूर्व सामान्य ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श कोषागार में जमा होती थी। तथा कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती है। माह जुलाई 2014 से ठेकेदारो को देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से ऑनलाइन कया गया। ऑनलाइन भुगतान में ठेकेदार के देयकों से कटौती की जा रही प्रतिभूति धनरा श भी सीधे ईचेक के माध्यम से कोषागार में जमा हो रही है।

खण्ड की मा सक लेखा जून 2014 की जांच मे पाया गया क Form-79-Schedule of Deposit(Part-II) मे ` 3 लाख व पार्ट V मे `287.74 लाख मे नियम वरुद सामान्य ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श को भी सम्म लत कया गया था को आति थ मे प्रस्तुत पत्रावली व अ भलखो के अनुसार `1.14 करोड़ ठेकेदारो के प्रतिभूति धनरा श का भुगतान कया जाना शेष हैं और खण्ड के पास उक्त धनरा श के प्रत्याहरण हेतु कोई डी0 सी0 एल0 उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाता है क खण्ड द्वारा इस धनरा श को अन्य कार्यो पर पूर्व मे व्यय कया गया है। जब क उक्त धनरा श को खण्ड द्वारा उ चत लेखा शीर्षक के बचत मद मे रख कर नियमानुसार ठेकेदारो को भुगतान कया जाना था। ऐसा न करने के कारण शासन द्वारा दिनांक 14/06/2017 के लखे गए पत्र मे ठेकेदारो को प्रतिभूति धनरा श की प्रत्याहरण हेतु वर्तमान स्थिति के सम्बंध मे सुस्पष्ट आख्या मागी गई थी जिसके लये खण्ड द्वारा `1.14 करोड़ के दायित्वों अवगत कराया गया था जब क इस धनरा श को बचत के रूप मे रखा जाना व उसी से नियमानुसार भुगतान कया जाना चाहिए था जब क लेखा परीक्षा ति थ तक कोई भी भुगतान नही कया गया था।

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया हैं क प्रतिभूति धनरा श `1.14 करोड़ का भुगतान कया जाना शेष हैं और खण्ड के पास उक्त धनरा श के प्रत्याहरण हेतु कोई डी0 सी0 एल0 उपलब्ध नहीं है। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है। अतः जुलाई 2014 से पूर्व ठेकेदारो से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श `1.14 करोड़ का प्रत्याहरण (Refund) संबंधी खंड पर दायित्व का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता हैं

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2 : समय पर भू म प्रतिकर वतरण न होने व धनरा श को निक्षेप मद भाग-III मे वगत 5 वर्षो से अवरूद रखे जाने के एवं समय पर प्रकरण शासन के सज्ञान मे न लाया जाने के कारण रु 60 लाख का भू म प्रतिकर का अ धभार शासन ।

वत्तीय हस्त पुस्तका भाग 6 के पैरा संख्या 519 (ब) मे निहित प्रावधानों के अनुसार खण्ड should promptly surrender the un-expended balance, if any, of the deposit with the approval of the divisional officer.

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, नैनीताल के अ भलखो की जांच मे पाया गया क खण्ड को सयालेख बू डबना सूपी मोटर मार्ग मे नाप भू म का प्रतिकर के भुगतान हेतु दिसम्बर 2013 मे कुल ` **40.93** लाख प्रमुख अ भयन्ता/ एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहरादून ने धन आवंटन शासनादेश संख्या 957/25 (बजट)/2012-2013 दिनांक 1-12-2012 के संदर्भ मे कया था। इस धनरा श का व्यय अनुदान संख्या 22 लेखा शीर्षक 5054 सड़क एवं सेतु -04 जिला व अन्य सड़क आयोजनागत 800 अन्य व्यय 05 सड़क/ भू म अ धग्रहण 24 आदि वृहद निर्माण कार्य के नाम डाला जाना था। लेखा अ भलखो मे आगे यह पाया गया क खण्ड द्वारा उक्त रा श मे केवल ` 32.13 लाख का वतरण कया और शेष धनरा श ` 8.80 लाख 3/2013 वतरण हेतु वशेष भू म अध्या पत अ धकारी, नैनीताल को हस्ततारित कया जिसका वतरण उनके द्वारा नहीं कया जा सका। अ भलेखो व पत्रावली मे आगे पाया गया क उक्त धनरा श का वतरण न होने के कारण वशेष भू म अ धग्रहण अ धकारी, नैनीताल द्वारा उक्त धनरा श को खंड को वापस (4/2013) कया गया जिसको खंड द्वारा निक्षेप मद भाग-III मे वगत 5 वर्षो से अवरूध्द रखा गया है जो क वत्तीय नियमो का साफ साफ उल्लंघन है।

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क तत्समय प्रतिकर दर ` 32500 प्रति नाली के वरुद काश्तकारो द्वारा ` 200000 प्रति नाली की मांग कए जाने के कारण SLO नैनीताल को हस्तातरित की गयी थी अब माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के पारित आदेश दिनांक 23/08/2017 के अनुपालन मे वर्तमान मे प्रच लत दर पर` 1.14 करोड़ का भू म प्रतिकर प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु अधीक्षण अ भयंता को प्रे षत कया गया है।

खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है क समय पर वतरण न होने के कारण और धनरा श को निक्षेप मद भाग-III मे वगत 5 वर्षो से अवरूध्द रखे जाने के कारण वर्तमान मे प्रच लत दर के अनुसार ` 60 लाख का भू म प्रतिकर का अ धभार शासन पर

पड़ा। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है क यदि खंड द्वारा धनरा श को सम र्पत कया होता और समय पर यह प्रकरण शासन के सज्ञान मे लाया होता तो भू म प्रतिकर प्रस्ताव वर्तमान मे प्रच लत दर से गठित नहीं होता जिससे शासन पर कम अ धभार पड़ता।

अत: समय पर भू म प्रतिकर वतरण न होने व धनरा श को निक्षेप मद भाग-III मे वगत 5 वर्षो से अवरूद रखे जाने तथा समय पर प्रकरण को शासन के सज्ञान मे न लायाजाने के कारण ` 60 लाख का भू म प्रतिकर का अ धभार शासन पर पड़े जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग– 2 (ब)

प्रस्तर-3 :उपखनिजों पर धनराशि रू0 13.93 लाख कम रायल्टी वसूल किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 संख्या **211/VII-II-13/24-ख/2007** दिनांक **26**फरवरी**, 2016** तथा **842/VII-I/2016/24-ख/2007** देहरादून (दिनांक 19 मई 2016) के अ धसूचना का स्तम्भ -1 में उल्लि खत उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्था पत/संशो धत कया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लि खत था क यह अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल के संबं धत अ भलेखों , माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाण को की नमूना जॉच (माह 02/2018) में पाया गया क खण्ड द्वारा माह 10/2016 से 03/2017 तक कुल `11.20 लाख रायल्टी कटौती कर जमा कया गया था। ले कन उक्त ल खत अ धसूचनानुसार उपखनिजों हेतु संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती लेखापरीक्षा अव ध के माह 10/2016 से 03/2017 तक नहीं की गयी थी। अ धसूचनानुसार खण्डास बोल्डर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर दर रू 9000.प्रति घन मीटर के स्थान पर 26 फरवरी 2016 से ` 194.5प्रति घन मीटर तथा मई 19 2016 से `187.00प्रति घन मीटर संशो धत /वृद् ध कया गया था। खण्ड द्वारा संशो धत एवं तत्समय लागू दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो लेखापरीक्षा अव ध के माह 10/2016 से 03/2017 तक कुल `23.28 लाख रायल्टी के रूप में कटौती होती जब क उक्त अव ध में पुरानी दर से रायल्टी की कटौती कये जाने के कारण मात्र रु 11.20 लाख की ही कटौती की गयी। इस प्रकार खण्ड द्वारा संशो धत एवं तत्समय लागू दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो `12.08 लाख रायल्टी के रूप में और राजस्व प्राप्त होती (`23.28-`11.20 लाख =`12.08 लाख (अर्थात `12.08 लाख की राजस्व की कम वसूली की गयी।

आगे अ भलेखों के अवलोकन में यह भी पाया गया क माह में 05/2017संशोधित दर रु 187.00 प्रति घन मीटर से रायल्टी की कटौती की गयी थी परन्तु बाउचर संख्या 27 11.05.2017

द्वारा M/S Super Construction के डोलकोट- समराड-पागकटारा -मो०मा० (. .-2/15-16/16)कार्य का भुगतान करते समय पुरानी दर से ही रायल्टी की कटौती की गयी जिसके कारण ` 1.85 लाख की राजस्व की कम वसूली की गयी।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने अवगत कराया कि शासनादेश संज्ञान में आने में हुऐ बिलम्ब के कारण संशोधित दरों से रायल्टी की कटौती नही की जा सकी जिसकी जमानत धनराशि/अन्य कार्यो के देयकों से वसूली कर ली जायेगी और बाउचर संख्या 27 11.05.2017, M/S Super Construction के डोलकोट- समराड-पागकटारा-मो०मा० (. .-2/15-16/16)कार्य की कम रायल्टी की कटौती के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि के जमानत धनराशि/अन्य देयक से रू0 1.85 लाख की वसूली कर ली जायेगी। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि शासनादेश संज्ञान में आने में हुऐ बिलम्ब के कारण संशोधित दरों से रायल्टी की कटौती नही की जा सकी जिसकी वसूली भविष्य में किया जायेगा।

इस प्रकार कार्य निष्पादन में प्रयुक्त उपखनिजों पर तत्समय लागू दर से रायल्टी की वसूली नही किये जाने के कारण धनराशि रू0 13.93 लाख (रू0 12.08 लाख+रू0 1.85 लाख) कम रायल्टी वसूल किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-4 : वगत 7 वर्ष होने के उपरांत भी देवी आपदा के अंतर्गत अवशेष बचत धनरा श **`34.26** लाख को सम र्पत न कया जाना।

देवी आपदा.के अंतर्गत खंड को प्राप्त तात्का लक प्रकृति के मार्ग कार्यजेसा क:

i) Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments.

ii) Repair of breached culverts.

iii) Providing diversions to the damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity

iv) Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges., repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic. के कार्यो से संबन्धित अ भलेखो की जांच मे पाया गया क खंड द्वारा तात्का लक प्रकृति के 47 कार्यो मे जिनकी कुल लागत `5.39करोड़ है पर ` 4.96 करोड़ व्यय (*स्लगनक 1-के अनुसार)* कया गया। जिसमे वर्ष 2009-10 के पूर्व 34 कार्य व वर्ष 2009-10 के 10 कार्य सम्मि लत है तथा उक्त मे से अ धकाश कार्य पूर्ण कये गए थे ले कन इन कार्यो की अवशेष बचत धनरा श `34.26 लाख को वगत 7 वर्ष होने के उपरांत भी सम र्पत नहीं की गयी थी और निपेक्ष पंजिका मे अवरूध्द है। आगे अ भलेखो मे यह भी पाया गया क 2016-17 के 2 तात्का लक प्रकृति के कार्यो जिनकी लागत `8.91 लाखहै मे से केवल एक कार्य पर `1.07 लाख का व्यय कर आं शक निर्माण कार्य कया गया है और शेष धनरा श भी अवरूध्द है। क्यो क यह कार्य तात्का लक प्रकृति के होते है व इन को तुरन्त कया जाना होता है इस सम्बंध मे जिला धकारी द्वारा को पूर्ण कए गये कार्यो की उपयोगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कया जाना व कार्य के फोटोग्राफ व मूल्याकन कया जाना जरूरी है इस सम्बंध मे खंड द्वारा उपयो गता प्रमाणपत्र, मूल्याकन पत्रावली लेखा परीक्षा को उपलब्द्ध प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त के सम्बंध मे पूछे जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क सभी कार्य पूर्ण कये गये है और अ धकाश कार्यो के उपयोगता प्रमाणपत्र व फोटो-ग्राफ जिला धकारी को प्रे षत कये गये है इस के अतिरिक्त अवशेष धनरा श कस खाते मे जमा करना है व पूर्ण कार्यो की थर्ड पार्टी मूल्याकन/निरक्षण हेतु जिला धकारी व उपजिला धकारी को लखा गया है।खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है क खण्ड द्वारा तात्का लक प्रकृति के कार्यो की धनरा श `34.26 लाख को वगत 7 वर्ष से अवरूद रखा है व अभी पूर्ण कार्यो की थर्ड पार्टी मूल्याकन/निरीक्षण नहीं कया गया है। अत :देवी आपदा के अंतर्गत तात्का लक प्रकृति के कार्यो की अवशेष बचत धनरा श `34.26 लाख को वगत 7 वर्ष होने के उपरांत भी सम र्पत नहीं कये जाने व अवरूध्द रखे जाने का प्रकरण उच्च-अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर–</u>प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करने, धनराशि रू0 8.81 लाख का व्यावर्तन तथा निष्पादित कार्य के लिये तत्समय लागू दर से रू0 13.56 लाख की कम रायल्टी की कटौती ठेकेदार के बिल से किया जाना।

जनपद नैनीताल में मा0 मु0 घो0 सं0 105/2015 के अन्तर्गत पटोड़ी–जोशीखोला–हल्दयानी– बेतालघाट मोटर मार्ग के किमी0 01 से 06 तक पुनः निर्माण व सुधार का कार्य (लम्बाई 6.0 कि0मी0) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या : 1894/।।।(2)/15–04 (मा0मु0घो0)/2015 दिनांक 20.03.2015 के द्वारा लम्बाई 6.00 किमी0 व लागत रू0 383.49 लाख की प्राप्त हुयी थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक : 5996/02 याता0–हल्द्वानी/2015 दिनांक 11–09–2015 के माध्यम से लागत रू0 383.49 लाख लम्बाई 6.00 किमी0 की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त **कार्य के** निष्पादन हेतु अनुबन्ध संख्याः 24/SE- 02/2015-16 (Dated 22.12.2015) ठेकेदार– श्री दिनेश चन्द्र पाटनी के साथ गठन किया गया, जिसके अनुसार अनुबन्धित लागत रू0 3050.32 **लाख** एवं आगणित लागत रू0 368.8 **लाख** थी तथा कार्य प्रारम्भ की तिथि 22.12.2015 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 21.06.2017 थी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल के अभिलेखों की नमूना जांच (माह 02/2018) में पाया गया कि :

- कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक : 5996/02 याता0–हल्द्वानी/2015 दिनांक 11–09–2015 के माध्यम से लागत रू0 383.49 लाख की लम्बाई 6.00 किमी0 हेतु प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जबकि

कार्य निष्पादन हेतु निविदा अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल के पत्रांकः 2671/41-M-02/2015 द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही दिनांक 20.06.2015 को आमन्त्रित की गयी।

- कार्य पर फार्म–64 के अनुसार माह 01/2018 तक कुल रू0 335.75 लाख का व्यय भारित किया गया था, जबकि गठित अनुबन्ध के सापेक्ष भुगतान बाउचर के अनुसार कुल रू0 344.56 लाख का व्यय किया गया था। इस प्रकार उक्त कार्य के रू0 8.81 लाख (अन्तर की धनराशि रू0 344.56 लाख–रू0 335.75 लाख=रू0 8.81 लाख)के व्यय को व्यावर्तित कर अन्य पर भारित किया गया।

- उक्त कार्य निष्पादन में अन्तिम देयक बाउचर संख्या 68C दिनांक 26.08.2017 रायल्टी विवरण के अनुसार 13220.57 cum मात्रा उपखनिज को प्रयुक्त किया गया था, जिसका तत्समय लागू दर @ रू0 187/घनमी0 से **रॉयल्टी** रू0 24.72 **लाख** देय थी। प्रत्येक भुगतान बिल से देय रायल्टी की अविलम्ब कटौती की जानी चाहिये जिससे राजस्व का समय से वसूली हो सके। अभिलेखो के अवलोकन में पाया गया कि कार्य के लिये @ रू0 80/घनमी0 एवं @ रू0 90/घनमी0 की दर से ही रायल्टी की कटौती किये जाने के कारण खण्ड द्वारा मात्र रू0 11.16 **लाख** की ही रायल्टी की कटौती निष्पादित कार्य हेतु की गयी थी। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त उपखनिज मात्रा के लिए रू0 13.55 **लाख** की कम रायल्टी(रू0 2472247.00–रू0 1116503.00=रू0 1355744.00) की कटौती खण्ड द्वारा की गयी।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि विस्तृत आगणन पर प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता स्तर से दी जानी थी, निविदा आमन्त्रण से पूर्व विस्तृत आगणन पर प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु आगणन खण्ड/वृत्तीय कार्यालय में गतिमान था, कार्य पर प्राविधिक स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित कार्यहित में की गयी तथा रायल्टी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि ठेकेदार को

प्रथम रनिंग देयक की माप एवं सामग्री खपत दि0 25.02.2016 से पूर्व की है अतः ठेकेदार से वास्तविक रायल्टी कटौती रू0 11.62 **लाख** बनती है, जिसकी वसूली ठेकेदार के अन्तिम देयक से कर ली जायेगी, अधिसूचना खण्ड के संज्ञान में बिलम्ब से आने के कारण संशोधित दरों से रायल्टी की कटौती नही की जा सकी, ठेकेदार का अन्तिम देयक का अभी भुगतान नही हुआ है उक्त अन्तिम देयक से अवशेष रायल्टी की वसूली माह 03/2018 में कर ली जायेगी। खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नही था क्योकि कार्य की निविदा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही दिनांक 20.06.2015 को आमन्त्रित की गयी, कार्य पर किये गये व्यय धनराशि रू0 8. 81 लाख को व्यावर्तित करते हुये अन्य मदो पर भारित किया गया था क्योकि भुगतान बाउचर में फार्म–64 से रू0 8.81लाख अधिक भुगतान प्रदर्शित हो रहा था तथा कार्य के लिये देय रायल्टी की धनराशि रू0 24.72 लाख के लिये मात्र रू0 11.17 लाख की ही रायल्टी की कटौती की गयी थी। इस प्रकार भुगतान वाउचरों से रू0 13.56 लाख की कम रायल्टी की कटौती ठेकेदार के बिलों से की गयी थी जिससे रू0 13.56 लाख के राजस्व का नुकसान पहुचाया गया।

अतः कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करने, धनराशि रू0 8.81 लाख का व्यावर्तन तथा निष्पादित कार्य के लिये तत्समय लागू दर से देय रू0 13.56 लाख की कम रायल्टी की कटौती ठेकेदार के बिलों से किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर : रोड कटिंग चार्जेस'मे प्राप्त `**6.08** लाख को वभागीय प्राप्ति शीर्ष- 0059 में जमा न कया जाना।

Paragraph 21 of UP Financial Hand Book volume-V Part I and paragraph 81 and 82(iii) of उत्तराखंड budget manual lays down that the departmental authority are required to see whether all revenue receipts due to Government are correctly and properly assessed and credited into Government account without undue delay. Such receipts shall not be utilised towards departmental expenditure without proper authorisation by the Government.

लोक निर्माण वभाग द्वारा बनाये गए मोटर मार्गों पर यदि कोई सरकारी/प्राइवेट संस्थान जैसे जल निगम, दूरसंचार की कंपनी आदि के द्वारा मोटर मार्गों पर केबल/पाइप के बिछाने के लए मोटर मार्गों पर जो कटिंग का कार्य कया जाता है, उसके एवज में मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में धनरा श संबन्धित वभाग द्वारा खण्ड को प्रदान की जाती है।

खण्ड के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क बी0एस0एन0एल0 द्वारा खण्ड को 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में `6.08 लाख धनरा श प्रदान की जिसे निक्षेप पंजिका मद -8443 स वल डपॉज़िट के रूप में रखा गया।अ भलेखों मे आगे यह भी पाया गया क खण्ड ने इस मद से उक्त मार्ग पर कोई व्यय/कार्य नहीं कराया व धनरा श को अवरुध्द वगत 9 सालो से रखा है जो क वत्तीय नियम व बजट मेनुयल के अनुसार नहीं हे।

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया सक्षम अ धकारी से उक्त मद मे डी0 सी0 एल0 जारी होने पर मरम्मत के लए उनका अनुमोदन प्राप्त हो जाता है। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है क खण्ड ने इस मद से उक्त मार्ग पर कोई व्यय/कार्य नहीं कराया व प्राप्त धनरा श को वभागीय प्राप्ति शीर्ष- 0059 में जमा नहीं कराया है और वगत 9 सालो से प्राप्त धनरा श अवरूध्द है।

अत: रोड कटिंग चार्जेस' मे प्राप्त `6.08 लाख को वभागीय प्राप्ति शीर्ष- 0059 में न कया जाना व वगत 9 वर्षो से अवरोधन का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'
1.	24/2000-01	-	3
2.	25/2002-03	1	3
3.	04/2003-04	2	2
4.	85/2004-05	-	1
5.	85/2005-06	2	1
6.	65/2006-07	1	3
7.	41/2008-09	3	-
8.	10/2010-11	2	2
9.	25/2011-12	3	-
10.	01/2012-13	-	2
11.	02/2014-15	2	1
12.	34/2015-16	1	1,2,3,4,5,6,7,8 -1
13.	71/2016-17	-	3,4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
   (i) विगत लेखापरीक्षा के नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी (TAN)-अनुपालन आख्या
   (ii) माप पुस्तिका संख्या: 573/L, 572/L एवं 530/L

2. सतत् अनियमितताएः
   (i) शून्य

3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	ई. धनसिंह कुटियाल	अधिशासी अभियंता	(दि. 16-06-2016 से अब तक)

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।
   (i) श्री एन. एस. मेहता वरिष्ठ लेखाधिकारी (दि. 14-07-2015 से अब तक)

   लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2